निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 1(227)स्था/निकाशि/81/ 754-55 दिनांकः 13 मई, 2013

परिपत्र

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देश दिनांक 07.03.2000 के ओएम क्र0 Q/GA/5571/185 एवं राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (ए–1) द्वारा जारी परिपत्र एफ5(20)पर्सनल/ए–1/2006 दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के अनुसरण में निदेशालय, कॉलेज शिक्षा के अधीन कार्यरत अधिकारियों के लिये अकादमिक उद्देश्य से विदेश जाने की अनुमति निम्न शर्तो के पालन करने पर ही अग्रिम स्वीकृति दी जावेगी–

(1) विदेश में अकादमिक प्रयोजनार्थ यथा सेमीनार, वर्कशाप, ट्रेनिंग के केवल वे ही आवेदन स्वीकार्य होगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(2) अधिकारीगण विदेश जाने हेतु मनोनयन के लिये सीधे केन्द्रीय मंत्रालय एवं विदेशी संगठनों से सम्पर्क नही करेगें। इस हेतु उपयुक्त माध्यम से ही सम्पर्क किया जाये।

(3) अधिकारी अपने कार्यालयध्यक्ष यथा प्राचार्य द्वारा विदेश में अकादमिक गतिविधि में भाग लेने के लिये अकादमिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व में इस आशय की निदेशालय कॉलेज शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अग्रिम कार्यवाही करेगे।

(4) यदि किसी अधिकारी को सीधे आंमत्रण पत्र/पत्राचार प्राप्त हो तो वह आंमत्रित करने वाली संस्था को उक्त पत्राचार/निमत्रंण राज्य सरकार तथा भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग को भिजवाने हेतु सूचित करे ताकि उस उचित निर्णय सक्षम स्तर पर हो सके।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 1(227)स्था/निकाशि/81/ दिनांकः मई, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया परिपत्र को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर